फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री राजेन्द्रप्रसाद — **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. — **पत्रावली संख्या : 74/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 24.05.2022

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 फोलोअप कैम्प डबोक से बाद जांच पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राजपेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम राजु पिता अमरा भील गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत नामरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक ग्रा.प./2022–23 दिनांक 23.05.2022, 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र, आधार कार्ड पत्र की प्रति, ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र प्रसाद पिता अमरचन्द भील अंकित है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र प्रसाद होना जाहिर आया हैं। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट में राजेन्द्र प्रसाद पिता अमरचन्द का नाम संशोधन किया जाने पर सहमति व्यक्त की। ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र में राजु एवं राजेन्द्र प्रसाद को एक ही व्यक्ति होना बताया। उक्त खाते के सहखातेदार आशु, खेमा, बाबरू, भेरा, सवा पिता अमरा द्वारा भी नाम को दुरूस्त किया जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी की खाता संख्या 340 किता 13 रकबा 2.2421 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 341 किता 4 रकबा 0.5099 हेक्टेयर भूमि में खातेदार राजु पिता अमरा भील के बजाय राजु उर्फ राजेन्द्र प्रसाद पिता अमरचन्द भील संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2022.06.01 12:30:28 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मावली